संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/1843 भोपाल, दिनांक 6 /10/2020

–:: **आदेश** ::–

संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2019/258 भोपाल, दिनांक 12.02.2019 द्वारा डॉ.प्रीति कुमरे चिकित्सा अधिकारी,(पी.जी.निश्चेतना चिकित्सक) जिला चिकित्सालय बालाघाट का प्रशासकीय स्थानांतरण जिला चिकित्सालय डिण्डौरी किया गया था ।

म.प्र.राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,भोपाल के पत्र क्र./शिका. 157/बालाघाट/5625 भोपाल दिनांक 24.01.2020 द्वारा डॉ.प्रीति कुमरे चिकित्सा अधिकारी का अभ्यावेदन संलग्न प्राप्त हुआ है जिसमें डॉ. कुमरे द्वारा गृह निवास बालाघाट होने, माता–पिता की वृद्धावस्था, 05 वर्ष का पुत्र बालाघाट में अध्ययनरत होने आदि पारिवारिक,स्वास्थ्यगत कारणों से जिला चिकित्सालय बालाघाट से जिला चिकित्सालय डिण्डौरी किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है ।

डॉ.प्रीति कुमरे से विभागीय ई मेल gazatted@gmail.com पर दिनांक 27.07.2020 पर आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें संबंधित द्वारा लेख किया गया कि संबंधित के पति कार्यपालन अभियंता के पद पर अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह,चचाई जिला–अनूपपुर में पदस्थ है इसलिए पति–पत्नि समायोजन के आधार पर स्थानांतरण संशोधन कर जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के स्थान पर जिला चिकित्सालय अनूपपुर पदस्थ किये जाने का निवेदन किया गया ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट से प्राप्त पत्र क्र.5049 दिनांक 09.09.2020 से प्राप्त जानकारी अनुसार तत्समय कलेक्टर बालाघाट द्वारा डॉ. प्रीति कुमरे को लोक सभा चुनाव आचार संहिता पश्चात् कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । इसके पश्चात् सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट के पत्र दिनांक 05.09.2019 को संबंधित को जिला चिकित्सालय डिण्डौरी हेतु कार्यमुक्त करते हुए एल.पी.सी. तथा सेवा अभिलेख भी सिविल सर्जन, डिण्डौरी को प्रेषित किया गया है ।

संचालनालय आदेश के पालन में डॉ.प्रीति कुमरे द्वारा आज दिनांक तक जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, वर्तमान में अनाधिकृत अनुपस्थित है। जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में मात्र एक निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ है ।

अतः डॉ.प्रीति कुमरे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करते हुए संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2019/258 भोपाल, दिनांक 12.02.2019 अनुसार जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में ही आगामी 10 दिवस में उपस्थिति दें । डॉ. प्रीति कुमरे की अनाधिकृत अनुपस्थित का निराकरण पृथक से किया जावेगा ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

5/10/20

(सिप्रा एम.लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

निरंतर.....2/

पृ0क्र. / 01 जी / विज्ञप्त / सेल–05 / 2020 / 1850 भोपाल, दिनांक 6 / 10 / 2020

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।

02. अपर प्रमुख सचिव म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,म0प्र0।

03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश,म0प्र ।

04. अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय ।

05. अपर संचालक आयोग की ओर उनके पत्र क. 04 / आयोग / एम.पी. / एफ–355 / 2020 / 293 दिनांक 22.02.2020 के संदर्भ में ।

05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग म0प्र0।

06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला– डिण्डौरी, बालाघाट म0प्र0।

07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित के कार्य पर उपस्थित होने की सूचना के साथ संबंधित की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि का निराकरण किये जाने हेतु सेवा रिकार्ड अनुसार उपलब्ध अवकाश की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

08. जिला कोषालय अधिकारी जिला– डिण्डौरी, बालाघाट म0प्र0।

09. संबंधित डॉ. प्रीती कुमरे चिकित्सा अधिकारी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति तत्काल सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डिण्डौरी को प्रस्तुत करें।

10. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

5/9/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0